Instrument Mechanic, Tractor Mech
Gym Driver, Staff car Driver

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 6] नई दिल्ली, फरवरी 12—फरवरी 18, 2017, शनिवार/माघ 23—माघ 29, 1938

No. 6] NEW DELHI, FEBRUARY 12—FEBRUARY 18, 2017, SATURDAY/MAGHA 23—MAGHA 29, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 41.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान [मैकेनिक (उपकरण)/फाइन मैकेनिक] भर्ती नियम, 1989, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीन, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में उपकरण मैकेनिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, उपकरण मैकेनिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य शैक्षणिक अर्हताएं आदि.- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.- वह व्यक्ति,–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए है किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

बशर्ते कि यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसें आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
उपकरण मैकेनिक	01*(2017) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अराजपत्रित), अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 : (19900 से 63200 रुपए)

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।) **टिप्पण 2:** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु- सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	**अनिवार्य:** (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय के साथ 12वीं पास अथवा समतुल्य। (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से उपकरण मैकेनिक (दो वर्ष का पाठ्यक्रम) में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान से व्यवसाय प्रमाणपत्र। **वांछनीय:** मरम्मत प्रक्रिया अथवा उपकरण प्रमिति में दो वर्ष का अनुभव।

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु-सीमा और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधे भर्ती द्वारा। **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरी जा सकेंगी : (क) जो सदृश पद धारण किए हुए हैं ; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता और अनुभव है।

Insulrument Mechanic & Tractor Mechanic
cum Driver staff cur Driver

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि (पुष्टि हेतु) समिति में निम्नलिखित शामिल हैं: 1. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -अध्यक्ष 2. किसी भी विद्याशाखा के सहायक प्रोफेसर, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य 3. तकनीकी अधिकारी अथवा कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/10/2016-श.प्र.]

राजीव महेंद्रू, उप सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

New Delhi, the 3rd February, 2017

G.S.R. 41.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Sugar Institute [Mechanicy (Instrument)/Fine Mechanic] Recruitment Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Instrument Mechanic in National Sugar Institute, Kanpur in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, namely :-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the National Sugar Institute, Instrument Mechanic, (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**– The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

4. **Disqualification.** – No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of Post	Classification	Level in the Pay Matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Instrument Mechanic	01*(2017) (* Subject to variation dependent on work load).	General Central Service Group 'C' (Non-gazetted), Non-Ministerial.	Level-2 in pay matrix Rs.19900—Rs.63200.

Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits
(5)	(6)	(7)
Not applicable	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government Servants upto the age of 40 years, in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) **Note 1:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.) **Note 2:** In the case of appointment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit names.	**Essential:** (i) 12th pass with Science or equivalent from a recognised Board or University. (ii) Industrial Training Institute or Central Training Institute Trade Certificate in Instrument Mechanic Trade (Two years course) from a recognised Institute. **Desirable:** Two years experience of repairing of process or precision instruments.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from Officers of the Central Government: (a) holding analogous posts on regular basis; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for confirmation) consisting of:-** (1) Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur - Chairman (2) Assistant Professor of any discipline, National Sugar Institute, Kanpur - Member (3) Technical Officer or Junior Technical Officer, National Sugar Institute, Kanpur - Member	Not applicable.

[F.No. A-12018/10/2016-SA]

RAJIV MAHENDRU, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 42.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर [स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) तथा क्लीनर] भर्ती नियम, 2005 तथा राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर (ट्रैक्टर मैकेनिक-सह-ड्राइवर तथा ट्रैक्टर ड्राइवर) भर्ती नियम, 2006, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीन, राष्ट्रीय शर्करा

संस्थान, कानपुर, में ट्रैक्टर मैकेनिक-सह-ड्राइवर तथा स्टाफ कार ड्राइवर के पद पर भर्ती की पद्धति का नियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर (ट्रैक्टर मैकेनिक-सह-ड्राइवर तथा स्टाफ कार ड्राइवर) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में लेवल.-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में लेवल वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हताएं,-** वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, अथवा विवाह संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विषय के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति, .- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति– इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1. ट्रैक्टर मैकेनिक-सह-ड्राइवर	1* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, (समूह 'ग') अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर—4 (25500-81100 रुपए)

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित और शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
अचयन	18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में आयु सीमा में 40 वर्ष आयु होने तक की छूट ।) **टिप्पण:** आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारतीय उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी सब-डिवीजन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के संबंध में विनिर्दिष्ट अंतिम तिथि नहीं होगी ।	1. किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा सरकारी संस्थान से ट्रैक्टर मैकेनिक ट्रेड प्रमाण-पत्र सहित 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। 2. डीजल तथा पेट्रोल दोनों से चलित, ट्रैक्टर तथा वाहनों की ओवरहॉलिंग एवं सामान्य रखरखाव कार्य में दो वर्ष का अनुभव। 3. भारी ट्रैक्टर, ट्रक तथा मोटर वाहनों की मरम्मत, ओवरहॉल का कार्य स्वतंत्र रूप से करने की क्षमता। 4. ट्रैक्टर तथा मोटर वाहन चलाने का उचित लाइसेंस धारक होना चाहिए। **टिप्पण 1:-** अनुभव के संबंध में योग्यताओं को सक्षम प्राधिकारी के विवेकनुसार शिथिल किया जा सकता है। **टिप्पण 2:-** अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों के संबंध में अनुभव संबंधी योगयताओं को शिथिल किया जा सकता है, यदि चयन के किसी भी स्तर पर, सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियां भरने के लिए अपेक्षित अनुभव के साथ पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों के उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु सीमा और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
जी नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति के माध्यम से ऐसा न होने पर सीधे भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: विभागीय ट्रैक्टर ड्राईवर जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के लेवल-2 के ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है। **टिप्पण 1:-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है, पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु वह तब तक जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक और पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, तथा जिन्होंने अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति:** 1. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक उपक्रमों अथवा अर्ध-शासकीय अथवा स्वायत्तशासी अथवा सांविधिक संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने नियुक्ति के पश्चात वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 में कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा की है, तथा	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति अथवा स्थाई करने हेतु) में शामिल हैं: (1) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - अध्यक्ष (2) तकनीकी अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य (3) कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य	लागू नहीं होता।

(iii) जिन्होंने नियुक्ति के पश्चात वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 2 में कम से कम आठ वर्ष की नियमित सेवा की हैं, तथा (ख) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के मामले में स्तंभ सं. (7) में विनिर्दिष्ट शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हो । 2. प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के साथ ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा करने वाले विभागीय ट्रैक्टर डाईवर पर भी विचार किया जाएगा। उनका चयन होने की स्थिति में से इसे प्रोन्नति द्वारा भरा माना जाएगा । **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित साधारणत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

(1)	(2)	(3)	(4)
2. स्टाफ कार ड्राइवर	2* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, (समूह 'ग') अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर—2 (19900-63200 रुपए)

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत के अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	**अनिवार्य:** (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण अथवा समकक्ष; तथा (ii) मोटर कार चलाने के मान्य लाइसेंस सहित ड्राइविंग का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण:** सीधे भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के मामले में विनिर्दिष्ट आयु सीमा 5200-20200/- रूपए जमा 1800/- रूपए ग्रेड वेतन सहित राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर के पूर्ववर्ती वर्ग-घ कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगी।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	स्थायीकरण हेतु वर्ग 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (1) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - अध्यक्ष (2) तकनीकी अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य (3) कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/11/2016-एस.ए.]

राजीव महेन्द्रू, उप सचिव

New Delhi, the 8th February, 2017

G.S.R. 42.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Sugar Institute, Kanpur {Staff Car Driver (Ordinary Grade) and Cleaner} Recruitment Rules, 2005 and the National Sugar Institute, Kanpur (Tractor Mechanic-cum-Driver and Tractor Driver) Recruitment Rules 2006, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Tractor Mechanic-cum-Driver and Staff Car Driver in the National Sugar Institute, Kanpur, Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, namely :-

1. **Short title and commencement.**– (1) These rules may be called the National Sugar Institute, Kanpur (Tractor Mechanic-cum-Driver and Staff Car Driver) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, their classification and level in the pay matrix.**– The number of posts, its classification, and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** – No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay Matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tractor Mechanic-cum-Driver	1* (2017) * Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-4 (Rs.25500-81100/-)

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Non-selection	Between 18 and 25 years (Relaxable for Government Servants upto forty years in accordance with the instructions issued by the Central Government.)	1. 12^{th} standard pass with Tractor Mechanic Trade Certificate from Industrial Training Institute or Government Institute. 2. At least two years experience in overhauling and general maintenance of Tractors and vehicles; both Diesel and Petrol driven.

	Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep.	3. Ability to take up independent charge of repair, overhaul or heavy tractors, trucks and Motor vehicles. 4. Should possess proper licence for driving Tractors and Motor vehicles. **Note 1:** Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidate from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
No	Two years.	Promotion or deputation failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition .	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Departmental Tractor Driver in level-2 in the pay matrix with eight years regular service in the grade. **Note 1.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion or confirmation):** 1. Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur. - Chairman 2. Technical Officer, National Sugar Institute, Kanpur - Member 3. Junior Technical Officer National Sugar Institute, Kanpur - Member	Not applicable

Deputation: 1. Officials of the Central or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory Organisations:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years' regular service rendered after appointment thereto in level-3 in the pay matrix; or (iii) with eight years' regular service rendered after appointment thereto in level-2 in the pay matrix; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). 2. The Departmental Tractor Driver with eight years regular service in the grade will also be considered along with deputationists. In case, he is selected for appointment, the post shall be deemed to have been filled by promotion. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Staff Car Driver.	02* (2017) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-2 (Rs.19900-63200/-)

(5)	(6)	(7)
Not applicable	Between 18 and 25 years (Relaxable for Government Servants upto the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).	**Essential:** (i) 12th pass or equivalent from a recognised Board or University. (ii) Qualifying license for driving cars with at least two years experience in driving.

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years.	By direct recruitment. **Note:** Age prescribed for direct recruits will not apply in the case of erstwhile Group-D employees of National Sugar Institute, Kanpur in the scale of Rs.5200-20200/- with grade pay of Rs. 1800/-.

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation):-** 1. Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur. - Chairman 2. Technical Officer, National Sugar Institute, Kanpur - Member 3. Junior Technical Officer, National Sugar Institute, Kanpur - Member	Not applicable

[F. No. A-12018/11/2016-SA]

RAJIV MAHENDRU, Dy. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 43.- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बी. सी. जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, मद्रास (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 जहां तक उसका संबंध मोटर ड्राइवर सह-क्लीनर के पद से है को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी. सी. जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी चेन्नई में मोटर चालक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-